

पत्र सं0-बी0-1-68 भवन निर्माण/क्रय अग्रिम/वाहन क्रय अग्रिम/2021-22// 865 //वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: जनवरी ०५, 2022

**समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय अग्रिम/
भवन मरम्मत / विस्तार अग्रिम / वाहन अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु शासन से अग्रिम के मद में
वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशियाँ प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।

अतः पत्र के साथ भवन निर्माण/क्रय अग्रिम/ भवन मरम्मत/ विस्तार अग्रिम/ वाहन क्रय
अग्रिम से सम्बन्धित निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं
कि आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों जो अग्रिम लेने के इच्छुक
हों, संलग्न प्रारूप में आवेदन प्राप्त करते हुए, उक्त आवेदन पत्र को अपने स्तर से अग्रसारित कर
बजट अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करें, ताकि शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन प्रपत्रों पर विचार किया
जा सके।

संलग्नक:-यथोपरि।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार / स्कूटर / मोटर साइकिल/ मोपेड/ अग्रिम की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

- 1- नाम :-.....
 - (क) पद नाम :-.....
 - (ख) वर्तमान तैनाती का स्थान :-.....
- 2- पिता / पति का नाम :-
- 3- स्थाई / अस्थायी (नोट देखे)
- 4- वेतन और भो
 - (i) मूल वेतन ::.....
 - (ii) ग्रेड-पे ::.....
 - (iii) स्थानापन्न वेतन ::.....
 - (iv) विशेष वेतन ::.....
 - (v) ब्यौरे सहित भत्ते-डी0ए0..... सी0सी0ए0..... एन0 आर0ए0..... योग
- 5- अपेक्षित अग्रिम धनराशि :-.....
- 6- खरीदे जाने वाला वाहन नया है या पुराना :-.....
- 7- (ए) यदि प्रार्थी नई गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसका सबूत कि उसकी गाड़ी / कब मिलने की सम्भावना है या उसकी कीमत.....
 - (ब) यदि प्रार्थी पुरानी गाड़ी का पूर्ण विवरण :-.....
 - (मेक माडल रजिस्ट्रेशन न0 आदि) व उसकी वैधता की तिथि :-.....
 - (2) इस खरीद की, अधिकृत विक्रेता से किया तो उसके क्रय कृतार्थ सेवा नियमावाली के नियम-24 के अनुसार सक्षम अधिकारी स्वीकृति जो प्राप्त की गयी हो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें ।
 - (3) स्टैंडर्ड बीमा कम्पनी का प्रमाण-पत्र के प्रस्तावित क्रय किये जाने वाले वाहन का समाविष्ट बीमा किया जा सकता है ।
- 8- प्रश्नगत वाहन को क्रय किये जाने का उद्देश्य :-.....
- 9- जन्म तिथि :-.....
- 10- (क) सामान्यतः आप कब सेवा निवृत्त होंगे :-.....
 - (ख) क्या आपका विचार पहले से सेवा निवृत्त होने का है :-.....
- 11- विभाग में नियुक्ति की तिथि :-.....
- 12- (ए) जामिन का नाम व पद :-.....
 - (बी) जामिन की निर्वतन तिथि :-.....
- 13- ट्रेजरी का नाम जहाँ से वेतन मिलता है :-.....
- 14- क्या अस्थायी अधिकारी लोक सेवा अग्रिम द्वारा विभागीय सेवा हेतु अनुमोदित है । आदेश की सत्यापित प्रति यथासम्भव संलग्न करें ।
- 15- क्या अराजपत्रित अस्थायी कर्मचारियों (क्लर्क) अधिकारी, विभागीय परीक्षा में नियुक्ति सेवा हेतु उीण है । अनुमोदित है । यदि हाँ तो आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि यथा सम्भव संलग्न करें ।
- 16- अब तक सेवाकाल में जो वाहन अग्रिम लिए गये हो उन सबका विवरण :-
 - (ए) प्रथम किश्त :-
 - (क) स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक :-.....
 - (ख) स्वीकृति धनराशि :-.....
 - (ग) तिथि जब उसका पूर्ण भुगतान ब्याज सहित हो जाएगा या हो गया है ।
 - (बी) द्वितीय अग्रिम अदि :-
 - (क) स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक :-.....
 - (ख) स्वीकृति धनराशि :-.....
 - (ग) तिथि जब उसका पूर्ण भुगतान ब्याज सहित हो जाएगा या हो गया है ।

17- गत पाँच वर्षों का सेवा का विवरण :-

खण्ड का नाम	मण्डल का नाम	समयावधि
घोषणा		

मैं.....यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने कार / स्कूटर / मोटर साइकिल/ मोपेड/ आटो साइकिल खरीदने हेतु अग्रिम धनराशि स्वीकृत की शर्तें भली-भाँति पढ़ ली है और उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा / करूँगी और यदि मैं शर्तों के अनुसार / स्कूटर / मोटर साइकिल/ मोपेड/ आटो साइकिल का बीमा एवं रहनामा निश्चित अवधि के अन्दर जैसा कि नियम में दिया गया है नहीं करता / करती हूँ तो पूरी धनराशि एक ही बार में ब्याज सहित वापस कर दूँगा / कर दूँगी तथा यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में अग्रिम की स्वीकृति नहीं हो पाती है तो उस दशा में औपचारिकतायें हानि दावे के रूप में पूर्ण करने में यदि मुझे वित्तीय हानि होगी तो मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी तथा ऐसी हानि दावे के रूप में विभाग पर अमान्य होगी ।

2- यदि निर्धारित अवधि के भीतर वाहन क्रय कर उसके तुरन्त बाद औपचारिकताएँ व कागजात न जमा करूँ तो मेरी सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी जाये ।

3- मैं यह भी साथ-साथ घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में समय से पूर्व या समय पर सेवा निवृत्त कर दिया / दी जाऊँगी, तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी तरह से अग्रिम की स्वीकृति शेष धनराशि को मुझसे वसूल कर लें ।

4- मैं यह भी साथ-साथ घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में समय से पूर्व या समय पर सेवामुक्त कर दिया / दी जाऊँगी, तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी तरह से अग्रिम की स्वीकृत शेष धनराशि को मुझसे वसूल कर लें ।

5- मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि आज दिनांक..... को मेरे बच्चों की संख्या तीन है या अधिक-

6- दिनांक 31-12-1985 को मेरे बच्चों की संख्या-2 थी और उसके बाद में आज तक मेरे बच्चों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है कि वृद्धि हुई

प्रमाणित किया जाता है कि-

प्रथम बच्चों की जन्मतिथि-

द्वितीय बच्चों की जन्मतिथि-

तृतीय बच्चों की जन्मतिथि-

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएँ ठीक हैं ।

प्रमाणित किया जाता है कि अपने कर्तव्य पालन में शासकीय कार्य को सुगमता पूर्व करने हेतु प्रार्थी को कार / स्कूटर / मोटर साइकिल/ मोपेड/ का प्रयोग करना आवश्यक है ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच एवं उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की कार्यवाही / कोर्ट केंस आदि की कार्यवाही लम्बित नहीं है ।

दिनांक:-

प्रार्थी के हस्ताक्षर,

प्रार्थी का पूरा नाम

प्रार्थी का पद नाम

कार्यालय

संस्तुति की जाती है ।

क्रम संख्या-1 से 4, 9 से 10 अभिलेखों से प्रमाणित है ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी के

समुहर हस्ताक्षर ।

:: गृह निर्माण/मरम्मत अग्रिम के लिए प्रार्थना-पत्र ::

- 1- नाम.....
- 2- पिता/पति का नाम
- 3- घर का स्थायी पता.....
- 4- स्थाई पद अथवा मौलिक नियुक्ति.....
 - {क} मूल वेतन.....
 - {ख} स्थानापन्न वेतन.....
 - {ग} विशेष वेतन.....
 - {घ} ब्योरे सहित भात्ते.....
- 5- अपेक्षित अग्रिम की धनराशि.....
 - {क} भूमि खरीदने के लिए.....
 - {ख} मकान खरीदने के लिए.....
 - {ग} मकान और स्लान भूमि खरीदने के लिए.....
 - {घ} खरीदे जाने वाले मकान की मरम्मत के लिए.....
 - {ङ} मकान फिर से बनवाने के लिए.....
 - {च} पिछली बार अग्रिम की धनराशि से बनाये गये या खरीदे गये मकान की मरम्मत/विस्तार के लिए.....
- 6- खरीदे जाने वाले प्लॉट/मकान का पूर्ण विवरण और सही स्थान
- 7- यह सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या विवरण प्रमाण-पत्र है। उक्त भूमि या मकान पर आपने निर्विवाद स्वामित्वाधिकार प्राप्त कर लिया है या कर लेंगे और उसे सरकार के पास बन्धक रखने में कोई बाधा न पड़ेगी।
- 8- अग्रिम की धनराशि किन-किन किश्तों में चाहिए और प्रत्येक किश्त की कत तक पूर्णरूप से उपभोग कर लिए जाने की सम्भावना है।
- 9- मकान के निर्माण कथ/मरम्मत के बाद उसमें कौन रहेगा
- 10- किसी ऐसे अन्य मकान का विवरण दीजिए जिसमें आप स्वामी या हिस्सेदार हैं। उक्त मकान में अपने अंश का मूल्य भी बताएं।
- 11- यदि कोई मकान बनवाने, खरीदने या उसकी मरम्मत इत्यादि कराने के लिए आपने इन नियमों के अधीन कोई अन्य अग्रिम धनराशि ली हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।
- 12- किसी मकान को खरीदने, बनवाने मरम्मत करने या उसे फिर से बनवाने के लिए अनिवार्य निधि से लिए गये स्थाई पत्राहरण/फाइनल विज्ञापन का पूरा पूरा विवरण दीजिए।
- 13- जन्मतिथि का दिनांक.....
- 14- {क} सामान्यतः आप कब सेवानिवृत्त होंगे.....
{ख} क्या आपका विचार इससे पहले से 0नि0 होने का है।
- 15- पसली कब से और किस दर से होनी चाहिए.....
- 16- क्या आपकी पत्नी/आपके प्रति राज्य सरकार कर्मचारी है 9 यदि हाँ तो।
{क} उसका नाम पदनाम तथा कार्यालय का पता.....

अंकित करें।

४ख॥ यदि उन्होंने इन नियमों के अधीन किसी अग्रिम के लिए आवेदन पत्र दिया हो और/या अग्रिम लिया गया हो तो निम्नलिखित विवरण दें।

४क॥ आवेदन पत्र देने की तिथि

४ख॥ लिये गये अग्रिम का प्रयोजन

४ग॥ अग्रिम से खरीदे गये/बनाये गये/मरम्मत कराये गये भवन का विवरण :- जिसमें स्थान का उल्लेख अवश्य करें।

17- क्या आपने या उसकी पत्नी या उसके पति ने अपनी ओर से किसी आवश्यक बच्चे की ओर से किसी अन्य स्रोत/संस्था से गृह निर्माण अग्रिम/सुधा हेतु प्रार्थना पत्र दिया है या कोई रूप/अग्रिम प्राप्त किया यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए।

घोषणा-पत्र

1. मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताई हुई विभिन्न मदों के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है, वह जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है सही है।
2. मैंने मकान बनवाने आदि के लिए राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम को विनियमित करने वाले नियमों को पढ़ लिया है और उसमें दी गयी शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ।
3. जिस मकान के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, बनवाना अभी प्रारम्भ नहीं किया है।
4. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति/आवश्यक बच्चे उस नगर/नगर टाउन/अरबन सग्लोमेरेयान में जहाँ सरकार से अग्रिम लेकर मकान बनाया जाता अथवा अर्जित किया जाना प्रस्तावित है, पहले से कोई मकान नहीं है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....
 पदनाम.....
 विभाग/कार्यालय.....
 जिसमें वह नियुक्त हो.....

1. निकटतम उच्च अधिकारी की सिफारिश।
2. कम संख्या- 1 से 4 व 13 तथा 14 अभिलेखों से प्रमाणित
3. संस्तुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
 पदनाम-मुहर सहित
 नोट:- जो लागू न हो उन्हें काट दीजिए।